

Order Sheet [Contd]

Case No 69 / 2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
14-02-2017	<p>आवेदकगण श्रीमती साधना एवं प्रिया की ओर से श्री बी०एस० यादव अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा जिला भिण्ड से अप०क्र० 132/16 धारा 498ए, 294, 506बी, 34 भा०दं०वि० की केश डायरी मय कैफियत के पेश।</p> <p>अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख प्र०क्र० 22/2017 ई०फौ० पु० गोहद चौराहा वि० मनोज आदि प्राप्त।</p> <p>आवेदकगण की ओर से अधि. श्री बी.एस.यादव द्वारा द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा०फौ० का पेश कर प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र बल न देने से निरस्त होना बताया है।</p> <p>आवेदकगण की ओर से द्वितीय अग्रिम आवेदनपत्र में निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद चौराहा के द्वारा फरियादिया से मिलकर आवेदकगण के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध करा दिया है। जबकि आवेदकगण का उक्त अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं। आवेदिका साधना अपने पति के साथ प्रथक निवास करती है और आवेदिका प्रिया भी भिण्ड में रहकर अध्ययनरत एवं प्राइवेट स्कूल में टीचर का काम करती है। उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। प्रकरण में मुख्य आरोपी को जमानत पर छोड़ा जा चुका है। पुलिस आवेदकगण को गिरफ्तार करना चाहती है, यदि उन्हें झूठे अपराध में गिरफ्तार किया गया तो उसकी छवि धूमिल हो जावेगी। आवेदकगण अग्रिम जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। प्रकरण में अभियोगपत्र भी पेश किया जा चुका है। अतः आवेदकगण को उचित अग्रिम जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का</p>	

अवलोकन किया गया। फरियादिया रेनू शर्मा के आवेदनपत्र के आधार पर कि उसका विवाह दिनांक 30.01.2015 को आरोपी मनोज के साथ सम्पन्न हुआ था। शादी के पश्चात् वह एवं उसके परिवार के अन्य लोग जिनमें वर्तमान आवेदकगण जो कि ननद एवं जिठानी है के द्वारा भी दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस पर महिला थाना ग्वालियर में अपराध दर्ज होकर अपराध थाना गोहद चौराहा का होने से गोहद चौराहा थाने को भेजा गया। उक्त प्रकरण में थाना गोहद चौराहा के द्वारा विवेचना की जाकर अभियोगपत्र पेश किया गया है, जिसमें कि वर्तमान आवेदकगण फरार होना दर्शाते हुए अभियोगपत्र उनकी अनुपस्थिति में पेश किया गया है।

आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि आवेदकगण कहीं भी फरार नहीं रहे हैं, बल्कि आवेदिका प्रिया जो कि फरियादिया की ननद है वह भिण्ड में रहती है और वहीं पर अध्ययन भी करती है और स्कूल में पढ़ाती भी है। अन्य आवेदिका साधना जो कि जिठानी है उसका अलग परिवार है और वह अपने पति के साथ अलग परिवार में रहती है। उनके द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि मुख्य आरोपी मनोज शर्मा जो कि फरियादिया का पति है की नियमित जमानत मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। फरियादिया के द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किये जाने और उसके साथ मारपीट किए जाने के संबंध में आवेदनपत्र में उल्लेख किया गया है, किन्तु उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट होने के संबंध में कोई भी मेडीकल संलग्न नहीं है। आवेदिका प्रिया जो कि उसकी ननद है उसकी ओर से भिण्ड में रहकर अध्ययन एवं अध्यापन करने के संबंध में दस्तावेज भी पेश किए गए हैं एवं अन्य आवेदिका साधना जो कि उसकी जिठानी है वह अलग परिवार में रह रही है, इस संबंध में परिवारपत्र की कॉपी पेश की गई है। उक्त दोनों आवेदकगणों के संबंध में केवल यह आक्षेप है कि वह पीड़िता के साथ हुई घटना के समय मौजूद थे। उक्त दोनों आवेदकगण जो कि पीड़िता की ननद एवं जिठानी है जो कि दोनों महिलाएं हैं। सहआरोपी मनोज की जमानत मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

विचारोपरांत प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त दोनों ही आवेदकगण महिलाएं हैं, उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र धारा 438 दं. प्र.सं. स्वीकार करते हुए यह आदेशित किया जाता है कि उक्त

आवेदिकागण साधना एवं प्रिया सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करावे और उनके गिरफ्तार होने की दशा में उनकी ओर से गिरफ्तारकर्ता अधिकारी की संतुष्टि योग्य 10,000/-रुपए की जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र पेश होने पर उन्हें जमानत पर छोड़ा जाए। इस दौरान यदि उनसे कोई पूछताछ की जाए तो या कोई जप्ती आदि की कार्यवाही की जाए तो वह इस हेतु उपस्थित रहेगा। उक्त आदेश 01 माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। आवेदकगण इस दौरान सक्षम न्यायालय में नियमित जमानत आवेदनपत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी व मूल अभिलेख बापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(डी0सी0थपलियाल)

ए.एस.जे. गोहद